मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग

रेसीडेंसी क्षेत्र - इंदौर

सूचना पत्र क्रमांक 02/2025, दिनांक 14.07.2025

आयोग द्वारा जारी समस्त विज्ञापनों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु-सीमा में छूट के संबंध में सूचना पत्र

1. **आयोग द्वारा मध्य-प्रदेश शासन के विभिन्न विभागों से प्राप्त मांगपत्रों के आधार पर पदों की पूर्ति विषयक विज्ञापन आयोग की वेबसाइट पर जारी किए जाते हैं।**

2. **आयोग द्वारा जारी विभिन्न विज्ञापनों के परिशिष्ट -1 आयु सीमा में छूट के बिन्दु क्रमांक (तीन) में निम्नानुसार उल्लेख किया गया था :-**
" आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यंर्थियों द्वारा दायर याचिका क्रमांक 2108/2022 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 08.02.2022 के अनुपालन में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पि.वर्ग के समान आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु-सीमा में छूट देय होगी किन्तु किसी भी स्थिति में अधिकतम आयु सीमा गणना तिथि 01.01.2025 को 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी। अर्थात जिन अभ्यर्थियों की आयु 45 वर्ष से अधिक है वे आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे। उपरोक्तानुसार छूट का लाभ लेने वाले अभ्ययर्थियों की अभ्ययर्थिता याचिका क्रमांक 2108/2022 के अंतिम न्यायालयीन निर्णय के अध्यधीन रहेगी।"

3. उपरोक्त याचिका एवं संबंधित अन्य याचिकाओं को माननीय न्यायालय द्वारा जारी अंतिम आदेश दिनांक 17.03.2025 के द्वारा खारिज किया गया है।

4. अत: आयोग द्वारा जारी ऐसे सभी विज्ञापनों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुष अभ्यंर्थियों हेतु अधिकतम आयु-सीमा 40 वर्ष से अधिक नही रहेगी अर्थात इस वर्ग के जिन पुरुष अभ्यर्थियों की आयु 40 वर्ष से अधिक है वे संबंधित पदों हेतु अपात्र माने जाएंगे।

5. विज्ञापनों की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

उप सचिव